प्रेषण संख्या–153 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 03 अक्टूबर, 2016 ई०

आश्विन 11, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)

संख्या 1000/XXIV(6)/2016–12(92)2015–टी०सी०–II

देहरादून, 03 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

प० आ०–138

राज्यपाल उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा (1) की उपधारा–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 06 सितम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

आज्ञा से,

एस० रामास्वामी,

अपर मुख्य सचिव।

क्रम संख्या–136

पंजीकरण संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 06 सितम्बर, 2016 ई०

भाद्रपद 15, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 230 / XXXVI(3) / 2016 / 23(1) / 2016

देहरादून, 06 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2016" पर दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Photo copy attested

7/3/17

कुलपति

उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016
(अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2016)

अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों के लिए

भारतीय गणतन्त्र के 67 वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत अधिनियमित किया जाता है

अधिनियम
अध्याय – एक
प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

परिभाषाएँ

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "शैक्षिक परिषद" से विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद्द अभिप्रेत है;

(ख) "कुलाधिपति" से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(ग) "संघटक महाविद्यालय" अथवा 'परिसर' से विश्वविद्यालय द्वारा पोषित व संचालित अतिरिक्त परिसर/संस्थान अभिप्रेत है;

(घ) "सभा" से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(ङ) "संकायाध्यक्ष" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(च) "निदेशक" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;

Photo copy attested

(छ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है और इसमें विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारीवृन्दें सम्मिलित हैं;

(ज) "कार्य परिषद" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद अभिप्रेत है;

(झ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ञ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ट) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) "संस्था" से किसी विषय के अध्यापन और अनुसंधान के आयोजन व संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्था अभिप्रेत है;

(ड) "प्रबन्धन मण्डल" से किसी संस्थान/परिसर के मामलों के प्रबन्धन के लिए और उस रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकाय अभिप्रेत है;

(ढ) "विहित" से परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) "प्राचार्य" से किसी संघटक महाविद्यालय के संबन्ध में संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और इसमें जहां प्राचार्य नहीं हैं उप प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी हैं;

(त) "कुलसचिव" से विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है;

(थ) "स्कूल" से विश्वविद्यालय के स्कूल अभिप्रेत हैं;

(द) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(ध) "परिनियमों" "अध्यादेशों" और "विनियमों" से कमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम अभिप्रेत है;

(न) "शिक्षक" से आचार्य, सह आचार्य, रीडर, सहायक आचार्य, प्रवक्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय या संघटक महाविद्यालय में अनुदेश, शिक्षण या अनुसंधान के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और जिसमें संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य सम्मिलित है;

(प) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

Photo copy attested
13/12

कुलपति
उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय
(उत्तराखण्ड)